



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092022-238753
CG-DL-E-12092022-238753

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 2022/भाद्र 21, 1944

No. 214]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 2022/BHADRA 21, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2022

सं. 24/2015-2020

विषय : दिनांक 24.05.2022 की सार्वजनिक सूचना संख्या 10/2015-20 और दिनांक 14.06.2022 की सार्वजनिक सूचना संख्या 15/2015-20 के क्रम में प्रावधानों को शामिल करना/उनमें किए गए परिवर्तन।

फा. सं. 01/89/180/36/एएम-14/पीसी-2(क)/पार्ट-II/ई-32035.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा दिनांक 14.06.2022 की सार्वजनिक सूचना संख्या 15/2015-20 के साथ पठित सार्वजनिक सूचना संख्या 10/2015-20 दिनांक 24.05.2022 के पैरा 2 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

1. पैरा 2 के तहत क्रम संख्या (xi) के बाद निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाते हैं:—

xii. सभी टीआरक्यू आबंटिती जिन्हें आबंटित टीआरक्यू के तहत अभी आयात करना है, उन्हें टीआरक्यू के तहत नियोजित आयातों का विवरण प्रदान करना होगा। उपर्युक्त खरीद/आयात व्यवस्थाओं की जानकारी और प्रमाण, जैसे कि खरीद अनुबंध के साथ अग्रिम भुगतान का विवरण/स्विफ्ट आउटपुट संदेश संदर्भ तिथि के साथ साख पत्र और अन्य सहायक दस्तावेज ईमेल आईडी: ddg1import-dgft@gov और policy2-dgft@gov-in पर अधिक-से-अधिक 20.09.2022 तक भेजे जाएंगे।

- xiii. आवंटित मात्रा के संभावित उपयोग न होने या आंशिक उपयोग के मामले में, टीआरक्यू आवंटियों को विशिष्ट मात्रा के अभ्यर्पण के लिए इस निदेशालय को सूचित करना होगा। अभ्यर्पित की जाने वाली मात्राओं का विवरण ईमेल द्वारा निम्नलिखित ईमेल आईडी: ddg1import-dgft@gov/ policy2-dgft@gov-in पर अधिक-से-अधिक 20.09.2022 तक भेजे जाएंगे।
- xiv. उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप कर दिया जाएगा और 20.09.2022 के बाद अन्य पात्र आयातकों को पुनः आवंटित किया जाएगा।

2. सार्वजनिक सूचना 15/2015-20 दिनांक 14.07.2022 के पैरा 2(xi) को अतिरिक्त रूप से सभी टीआरक्यू आवंटियों की जानकारी के लिए पुनः दोहराया जाता है – अप्रयुक्त मात्रा अर्थात्, वर्तमान आयात अवधि के अंत तक टीआरक्यू लाइसेंसधारियों द्वारा आयात नहीं की गई मात्रा, अगली अवधि, अर्थात् 2023-24 के दौरान प्रस्तावित आवंटन से काट ली जाएगी।

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: कच्चे सोयाबीन और कच्चे सूरजमुखी के तेल के आयात के लिए टीआरक्यू के तहत आवंटित अप्रयुक्त मात्रा के प्रबंधन के प्रावधान को अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
PUBLIC NOTICE

New Delhi, 12th September, 2022

No. 24/ 2015-20

Subject : Inclusion of/ changes made in provisions in continuation to Public Notice No. 10/2015-20 dated 24.05.2022 and Public Notice No. 15/2015-20 dated 14.06.2022

F. No. 01/89/180/36/AM-14/PC-2[A]/Part-II/E- 32035.—In exercise of the powers conferred under Para 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby amends Para 2 of Public Notice No. 10/2015-20 dated 24.05.2022 read with Public Notice No. 15/2015-20 dated 14.06.2022 as under :

1. The following provisions are inserted after Sl. No. (xi) under para 2 –

- xii. All TRQ allottees who are yet to effect imports under TRQ allocated shall provide details of imports planned under TRQ. Information and proof of aforesaid purchase/import arrangements, such as, details of advance payment along with purchase contract/Letter of Credit along with the SWIFT Output Message Reference date, and other supporting documents shall be sent to the email ids: ddg1import-dgft@gov.in and policy2-dgft@gov.in latest by 20.09.2022.
- xiii. In case of possible non-utilization of quantities allocated or partial utilization, the TRQ allottees shall intimate this directorate for surrender of specific quantities. Details of the quantities to be surrendered shall be sent vide email to the following email ids: ddg1import-dgft@gov.in / policy2-dgft@gov.in latest by 20.09.2022
- xiv. Failure to comply with the above directions shall result in cancellation and reallocation of TRQ to other eligible Importers after 20.09.2022.

2. Para 2(xi) of Public Notice 15/2015-20 dated 14.07.2022 is additionally re-iterated for information of all TRQ Allottees - *The un-utilized quantities i.e., quantities not imported by the TRQ Licencees by the end of the current import period, shall be deducted from the proposed allocations during the next period, i.e., 2023-24.*

Effect of Public Notice: Provisions for treatment of un-utilized quantities allocated under TRQ for import of crude soya bean and crude sun flower oil have been elaborated.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.